

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्री राम पाठक एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2007 का आपराधिक आवेदन (ए.न्या.) सं.134

19 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अरवल थाना कांड संख्या 20/1985 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 174/1992 डीजे/204/2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.-2), जहानाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 395; डकैती; अपीलकर्ताओं ने दरवाजा तोड़कर सूचक के घर में प्रवेश किया और उसके बाद, सूचक के परिवार के सदस्यों पर हमला किया और उन्हें आभूषणों, नकदी राशि और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का स्थान बताने के लिए मजबूर किया; अपीलकर्ताओं की पहचान पीड़ितों द्वारा की गई थी।

निर्णय: न तो जांच अधिकारी और न ही डॉक्टर से पूछताछ की गई; पी.डब्ल्यू. के साक्ष्य। 2, 3, 4 और 5 में, कथित घटना के समय इन गवाहों द्वारा अपीलकर्ताओं की तुरंत पहचान की गई थी और अभियुक्त/अपीलकर्ता ने पीड़ितों के घर से कई आभूषण, नकद राशि, कपड़े और अन्य सामान लूट लिए थे और यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता पीड़ितों के सह-ग्रामीण हैं, लेकिन इन तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद, जांच अधिकारी अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे या उनके घरों से लूटी गई वस्तुओं का कोई भी हिस्सा बरामद करने में विफल रहे; अपीलकर्ताओं को विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे डकैती के अपराध को साबित करने में विफल रहा; आक्षेपित निर्णय और सजा को रद्द किया गया; अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है; अपील स्वीकार की जाती है। (कंडिका 19, 20)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

डकैती, लूटे गए सामान, न तो जांच अधिकारी और न ही डॉक्टर की जांच, दरवाजा तोड़ना, पहचान परेड।

प्रकरण से उत्पन्न

अरवल थाना कांड संख्या 20/1985 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 174/1992 डीजे/204/2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.-2), जहानाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 15.01.2007 तथा सजा के आदेश दिनांक 18.01.2007 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री बी. के. सिंह चौहान, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से: सुश्री अनीता कुमारी सिंह, एपीपी।

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2007 का आपराधिक आवेदन (ए.न्या.) सं.134

थाना कांड संख्या-20 वर्ष 1985 थाना -अरवल जिला -जहानाबाद से उद्धृत

- =====
1. श्री राम पाठक, पिता- स्वर्गीय सुखदेव पाठक, निवासी, गांव- पखरपुर, थाना-अरवल, जिला जहानाबाद (अब अरवल)।
 2. जगदीश महतो, पिता- श्री देबनंदन महतो, निवासी, गांव- पखरपुर, थाना- अरवल, जिला- जहानाबाद (अब अरवल)।
 3. रामानुज सिंह, पिता- श्री राम स्वरूप सिंह, निवासी, गांव - पखरपुर, थाना-अरवल, जिला- जहानाबाद (अब अरवल)।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

अपीलाकर्ता सं.1 के लिए : श्री बी.के.सिंह चौहान, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : सुश्री अनीता कुमारी सिंह, स.लो.अ.

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 19-09-2023

के संदर्भ में:- 2023 का आई. ए. सं. 10

1. शुरुआत में, अपीलाकर्ताओं के विद्वान वकील 2023 की आई.ए. सं. 10 पर जोर देते हैं।

2. अपीलाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलाकर्ताओं सं. 3 अर्थात् रामानुज सिंह की मृत्यु अपने उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को पीछे छोड़कर दिनांक-27.02.2020 को हुई है जो मृतक अपीलाकर्ता के संबंध में अपील करने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए 2023 की आई.ए. संख्या 10 में अपील के ज्ञापन से मृतक अपीलाकर्ता के नाम को हटाने और मृतक अपीलाकर्ता की मृत्यु के तथ्य के समर्थन में, उसकी मृत्यु प्रमाणपत्र को 2023 के आई. ए. सं.सं 10 से संलग्न अनुलग्नक-1 के रूप में दाखिल किया गया है।

3. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के साथ-साथ 2023 की आई.ए. सं. 10 के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में दायर अपीलाकर्ता सं. 3 के मृत्यु प्रमाण पत्र पर विचार करने के बाद, मृत अपीलाकर्ता संख्या 3 के संबंध में तत्काल अपील समाप्त हो जाती है और अपील अब शेष अपीलाकर्ताओं के संबंध में बनी रहेगी ।

4. तदनुसार, 2023 का आई.ए. सं. 10 स्वीकृत है।

2007 का आपराधिक आवेदन (ए.न्या.) सं.134

5. अपीलाकर्ता सं.1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी.के. सिंह चौहान और राज्य की ओर से विद्वान सलोअ सुश्री अनीता कुमारी सिंह उपस्थित हैं और उनकी सुनवाई इस अपील के गुण-दोष के आधार पर की जाती है, लेकिन अपीलाकर्ता सं. 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

6. यह तात्कालिक आपराधिक अपील, सत्र परीक्षण संख्या 174/1992 डीजे/204/2002, जो अरवल थाना कांड संख्या 20/1985 से उत्पन्न हुआ था, में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.-2), जहानाबाद द्वारा पारित दिनांक 15.01.2007 के दोषसिद्धि निर्णय और दिनांक 18.01.2007 के सजा आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे "भा.दं.सं." कहा जाएगा) की धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उक्त अपराध के

लिए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

7. अभियोजन पक्ष के मामले का सार इस प्रकार है:-

24.02.1985 को रामेश्वर नाथ सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, रात लगभग 12 बजे वह, उनकी पत्नी और उनके बच्चे अपने घर में सो रहे थे, तभी ताला टूटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। इसके तुरंत बाद कुछ लोग उनके घर में घुस आए और सामान की तलाशी लेने लगे। उस समय उनके पास पिस्तौल और देसी राइफलें थीं। उन्होंने घरवालों से नकदी और आभूषणों का ठिकाना बताने को कहा और विवादित जमीन के कागजात भी मांगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चूंकि उनके परिवार के सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं का स्थान नहीं बताया, इसलिए डकैतों में से एक ने उषा देवी की गोद से एक बच्चे को छीन लिया और उसे नीचे फेंक दिया। फिर डर के मारे उषा देवी ने हर वस्तु का स्थान बता दिया और अंततः आरोपियों ने 40,000 से 50,000 रुपये मूल्य के आभूषण, नकदी और अन्य सामान लूट लिए। सूचक ने प्राथमिकी में आगे कहा कि लालटेन की रोशनी में उसने स्वयं तीन आरोपियों की पहचान श्री राम पाठक, रामानुज सिंह और जगदीश महतो के रूप में की और उसके बाद उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए, जिन्हें उसने घटना के बारे में बताया।

8. सूचक द्वारा अपने *फर्दबयान* में लगाए गए उपरोक्त आरोपों के आधार पर, अरवल थाना में 1985 का मामला संख्या 20 (प्रदर्श-2) नामक एक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दर्ज की गई, जिसने आपराधिक कानून को गति प्रदान की और जांच पूरी होने के बाद अपीलकर्ताओं को आरोप पत्र दिया गया और उसके बाद संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और उसके बाद अपीलकर्ताओं का मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

9. अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। सुनवाई के दौरान, कुल मिलाकर सात अभियोजन पक्ष के

गवाहों को पेश किया गया और उनकी जांच की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूचक के *फर्दबयान* और औपचारिक प्राथमिकी को साबित किया गया तथा उन्हें क्रमशः प्रदर्श-1 और प्रदर्श-2 के रूप में अंकित किया गया।

10. अपीलकर्ताओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और मुख्यतः यह बचाव किया कि वे *डकैतों* के सदस्य नहीं थे। बचाव में अपीलकर्ताओं ने कोई साक्ष्य नहीं दिया।

11. विद्वान विचारण न्यायलय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लेने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य दलीलें यह हैं कि अपीलकर्ताओं के मुकदमे के दौरान, जाँच अधिकारी को पेश नहीं किया गया और न ही उनसे पूछताछ की गई, इसलिए अभियुक्तों की संख्या, अभियुक्तों की पहचान के स्रोत के संबंध में भौतिक विरोधाभासों को दूर नहीं किया जा सका और लालटेन, टूटा हुआ ताला आदि जैसी आपत्तिजनक सामग्री, जो कथित घटनास्थल पर पाई गई बताई गई है, अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त नहीं की गई और न ही उन्हें विचारण न्यायलय के समक्ष पेश किया गया और अभियुक्तों को उक्त विरोधाभासों और आपत्तिजनक सामग्रियों के संबंध में जाँच अधिकारी से जिरह करके वास्तविक सच्चाई का पता लगाने का अवसर मिला। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष पीड़ितों को हुई चोटों को साबित करने में विफल रहा, जो कथित तौर पर अभियुक्तों द्वारा डकैती का अपराध करते समय पीड़ितों को पहुँचाई गई थीं और अभियुक्तों की संख्या के संबंध में गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। आगे दलील यह है कि जाँच के दौरान, किसी भी अपीलकर्ता की पीड़ितों के सामने *पहचान परेड* नहीं कराई गई और लूटी

गई वस्तुओं का कोई भी हिस्सा उनके कब्जे से बरामद नहीं हुआ और घटनास्थल की जाँच और निरीक्षण करने वाले जाँच अधिकारी को दरवाजे का ताला टूटने का कोई निशान नहीं मिला, जो प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को भी झूठा साबित करता है। आगे दलील यह है कि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि कथित घटना के समय अभियुक्तों ने पीड़ितों से कुछ ज़मीन के कागज़ात मांगे थे, जिससे पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच ज़मीन का कोई विवाद था और यही झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने का मुख्य कारण था।

13. विद्वान स.लो.अ. ने अपील का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि वर्तमान मामला *डकैती* के गंभीर अपराध से संबंधित है और अपीलकर्ताओं की पहचान पीड़ितों द्वारा की गई थी और अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अपराध को साबित करने में सफल रहा और आरोपित निर्णय सही रूप से पारित किया गया था और इस अपील में कोई बल नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

14. दोनों पक्षों को सुना, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और अपीलकर्ताओं के बयानों का भी अवलोकन किया। वर्तमान मामले में, आरोप के अनुसार, अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों ने सबसे पहले, सूचनाकर्ता के घर के दरवाजे की कुंडी (*किल्ली*) तोड़कर उसके घर में प्रवेश किया और उसके बाद, सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्यों पर हमला किया और उन्हें आभूषणों, नकदी राशि और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का स्थान बताने के लिए मजबूर किया। जिन्हें खुलासा करने पर, अभियुक्तों द्वारा लूट लिया गया और अपीलकर्ताओं की पहचान पीड़ितों द्वारा उस समय की गई जब डकैती की कथित घटना को अंजाम दिया जा रहा था क्योंकि अपीलकर्ता पीड़ितों के सह-ग्रामीण बताए गए हैं।

15. सूचक के घर में डकैती का अपराध करने वाले अभियुक्तों की संख्या के संबंध में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है क्योंकि अ.सा.2 के अनुसार, पाँच से छह अभियुक्तों को सूचक के घर से भागते हुए देखा गया था, उनमें से दो

की पहचान उसने की थी। उक्त संख्या का खुलासा अ.सा.2 ने अपनी जिरह में भी किया था। लेकिन उसने जिरह में यह गवाही दी कि अंधेरे के कारण वह उस विशेष अभियुक्त की पहचान नहीं कर सका जो एक विशेष हथियार ले जा रहा था। उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कथित घटना के समय अंधेरा था लेकिन फिर भी अ.सा.2 ने अभियुक्त श्री राम पाठक और रामानुज सिंह को डकैतों के सदस्य के रूप में पहचानने का दावा किया था। इसलिए, अ.सा.2 का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, विशेष रूप से अपीलकर्ताओं की पहचान के संबंध में। अ.सा. 3 उसने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया कि अभियुक्त द्वारा उसके घर का दरवाजा धकेलने पर दरवाजे की कुंडी (किल्ली) टूट गई थी और उसके बाद अभियुक्तों ने बक्सों में रखे गहने, नकद राशि और कपड़े लूट लिए और उसके बाद उसकी गोद में मौजूद उसके बच्चे को अभियुक्तों ने छीन लिया और ज़मीन पर पटक दिया और अभियुक्तों ने उस पर भी हमला किया। उसने आगे यह बयान दिया कि डकैतों की संख्या 15 से 20 थी। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि डकैतों की संख्या के संबंध में उक्त गवाह ने अ.सा.2 के बयान के विपरीत तथ्य उजागर किया और उसके साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तों ने उस पर और उसके बच्चे पर हमला किया और अन्य गवाहों के साक्ष्य में यह प्रकाश में आया कि पीड़ितों की चिकित्सकीय जाँच की गई थी, लेकिन मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उनके चिकित्सीय उपचार से संबंधित कोई चिकित्सकीय नुस्खा या कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत और सिद्ध नहीं किया गया और न ही पीड़ितों का इलाज करने वाले डॉक्टर को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और परीक्षित किया गया और उक्त परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

16. अ.सा.3 ने प्रति-परीक्षण में यह बयान दिया कि उसने अभियुक्त को लालटेन की रोशनी में देखा था, जिसे डकैती के कथित अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्त की पहचान का स्रोत बताया गया है, लेकिन अ.सा.4, जिसे कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी कहा गया है, ने जिरह में यह बयान दिया कि जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो

उसके घर में पूरा अंधेरा था। अभियुक्त की पहचान के स्रोत के संबंध में उक्त विरोधाभास अभियोजन पक्ष के आरोप की सत्यता पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार, डकैती की कथित घटना के समय अ.सा.4 पर अभियुक्तों ने हमला भी किया था और उक्त पीड़िता ने जिरह में यह बयान दिया कि उसके कान में चोट लगी थी और अगले दिन डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। अभियोजन पक्ष अ.सा.4 की उक्त चोट और उसके चिकित्सीय उपचार के तथ्य को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, अ.सा.4 का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अ.सा.5 को भी कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है और उसने अपीलकर्ताओं के नाम बताए हैं, लेकिन उसने अपने साक्ष्य में उन अज्ञात व्यक्तियों के बारे में खुलासा नहीं किया है, जो डकैती की कथित घटना में शामिल बताए गए हैं और उसके साक्ष्य के अनुसार कथित घटना केवल अपीलकर्ताओं द्वारा ही की गई थी, जबकि अ.सा.2 के साक्ष्य के अनुसार, पाँच से छह व्यक्तियों ने कथित घटना को अंजाम दिया था और अन्य गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, पंद्रह से अधिक व्यक्तियों ने कथित घटना को अंजाम दिया था और इन गवाहों के बयानों में अभियुक्तों की संख्या के संबंध में उक्त विरोधाभास अभियोजन पक्ष के आरोप को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है।

17. अपीलकर्ताओं ने बचाव में यह तर्क दिया है कि किसी भूमि विवाद के कारण झूठे आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि जब कथित डकैती की घटना घट रही थी, तब अभियुक्तों ने पीड़ितों से कुछ भूमि के कागजात मांगे थे और जब पीड़ितों से जिरह में पूछा गया कि क्या अभियुक्त रामानुज सिंह और अभियोजन पक्ष के बीच कोई मुकदमा चला था या नहीं, तो उस प्रश्न पर उक्त गवाहों ने दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी के तथ्य से साफ इनकार नहीं किया और उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें ऐसे किसी मुकदमे की जानकारी नहीं है। ये तथ्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों के बीच किसी भूमि विवाद के कारण

कुछ तनावपूर्ण संबंध थे क्योंकि ऐसे विवाद के अभाव में अभियुक्तों को पीड़ितों से किसी विशेष भूमि के कागजात मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब वे *डकैती* का अपराध कर रहे थे।

18. इस मामले में, अपीलकर्ताओं के मुकदमे के दौरान न तो जांच अधिकारी और न ही संबंधित डॉक्टर, जिन्होंने कथित चोटों के लिए पीड़ितों का इलाज किया था, जो घटना के समय पीड़ितों को लगी बताई गई थीं, पेश किए गए और इसे अभियोजन पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण त्रुटि माना जा सकता है क्योंकि अभियुक्त को जांच के दौरान उनके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के संबंध में जांच अधिकारी से जिरह करने का अवसर नहीं मिल सका, हालांकि जांच अधिकारी के विचारण न्यायलय में पेश न होने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन किसी भी पीड़ित की चोट की प्रतिवेदन पेश न करना और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ितों का इलाज करने वाले संबंधित डॉक्टर से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले में एक गंभीर कमी प्रतीत होती है और अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता पर भी गंभीर संदेह पैदा करता है क्योंकि अपीलकर्ताओं के मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सा साक्ष्य आसानी से दिए जा सकते थे।

19. इस मामले में, अ.सा. 2, 3, 4 और 5 के साक्ष्य के अनुसार, कथित घटना के समय इन गवाहों द्वारा अपीलकर्ताओं की तुरंत पहचान कर ली गई थी और आरोप के अनुसार, अभियुक्तों ने पीड़ितों के घर से कई आभूषण, नकद राशि, कपड़े और अन्य सामान लूट लिए थे और अपीलकर्ता पीड़ितों के सह-ग्रामीण हैं। लेकिन इन तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद, जांच अधिकारी अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे या उनके घरों से लूटी गई वस्तुओं का कोई भी हिस्सा बरामद करने में विफल रहे। उक्त परिस्थिति अभियोजन पक्ष के आरोप की सत्यता पर भी गंभीर संदेह पैदा करती है।

20. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, मेरा विचार है कि अपीलकर्ताओं को विचारण न्यायलय द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा

पेश किए गए सबूतों को निचली अदालत द्वारा सही ढंग से स्वीकार नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा किए गए डकैती के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा था। अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा किए गए डकैती के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करें। इसलिए, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाला निर्णय और आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है और तत्काल अपील की अनुमति दी जा ती है।

21. दोनों अपीलकर्ता श्री राम पाठक (अपीलकर्ता संख्या 1) और जगदीश महतो (अपीलकर्ता संख्या 2) जमानत पर हैं, इसलिए वे और उनके जमानतदार अपने-अपने बांड से उत्पन्न होने वाली देनदारियों से मुक्त हैं।

22. तत्काल अपील की एलसीआर संबंधित न्यायालय को वापस भेज दी जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मा यना ज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।